

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में पुलिस थानों में गठित मिशन शक्ति टीम द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों व सुरक्षा उपाय के संबंध में जागरूक किया गया।

उ०प्र० शासन की मंशा के अनुरूप मिशन शक्ति अभियान (फेज -4) के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर आज दिनांक 08.09.2024 को जनपद महोबा के समस्त थानों में नियुक्त एण्टीरोमियो /शक्ति दीदी टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के ग्रामों में भ्रमण कर जनचौपाल का आयोजन कर प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में शुरुआत की गई है। अब महिलाओं/बालिकाओं को अपनी समस्या व शिकायत लेकर थाना/ पुलिस चौकी व अन्य पुलिस कार्यालय बार-बार नहीं आना पड़ेगा अपितु “शक्ति दीदी” नियमित रूप से ग्राम चौपाल के माध्यम से विभिन्न गांवों में उपस्थित होकर महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही संवाद स्थापित कर उनकी शिकायतों का शीघ्र निस्तारण किया व कराया जा रहा है।

जनचौपाल में उपस्थित महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति (नारी सुरक्षा, नारी सम्मान व नारी स्वावलंबन) फेज-4 के तहत महिला सुरक्षा व बचाव संबंधी जानकारी दी गई और शासन द्वारा जारी हेल्प लाइन नम्बर- 112, 108, 181, 1076, 1090, 1098 की जानकारी देते हुए संकट के समय इनके प्रयोग हेतु बताया गया। साथ ही शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं में उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्रयण योजना, बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। साइबर अपराधों से बचाव के बारे में बताया गया और यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर अपराध की घटना घटित होती है तो तत्काल साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराये त्वरित कार्यवाही की जायेगी।



थाना श्रीनगर की पुलिस टीम ने गैंगेस्टर एक्ट के वाछित

एक नफर शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु शातिर अपराधियों के क्रियाकलापों पर पैनी नजर रख उनके सत्यापन की कार्यवाही व आपराधिक कृत्य पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 08.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौंड के निकट पर्यवेक्षण में थाना श्रीनगर प्रभारी निरीक्षक श्री शिवपाल सिंह के नेतृत्व में गठित हुई पुलिस टीम ने गठित टीम व030नि0 कन्हैयालाल, का0 शीलू यादव थाना श्रीनगर द्वारा मु0अ0सं0 186/2024 थाना 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना श्रीनगर से सम्बन्धित वाछित अभियुक्त नरेश रैकवार पुत्र बट्टी रैकवार उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम भण्डरा थाना श्रीनगर जनपद महोबा को आज दिनांक 08.09.2024 को मुखबिर खास की सूचना पर भण्डरा तिराहा कस्बा श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये अभियुक्त को पेशी हेतु माननीय न्यायालय महोबा भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

नरेश रैकवार पुत्र बट्टी रैकवार उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम भण्डरा थाना श्रीनगर जनपद महोबा

गिरफ्तारी का स्थान-

भण्डरा तिराहा कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 257/23 धारा 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट थाना श्रीनगर महोबा
2. मु0अ0सं0 186/24 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना श्रीनगर महोबा



थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने

अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक प्रवृत्ति के अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 08.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक कुमार दुबे के निकट पर्यवेक्षण में अवैध शस्त्र धारक अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर महोबा श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित की गई उ0नि0 देवेन्द्र कुमार ओझा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने वीएसएनएल टावर के आगे स्थित तिराहे से रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्ते के पास से एक नफर अभियुक्त रामदास प्रजापति पुत्र मिड़वा उम्र 42 वर्ष नि0 ग्राम रीवन थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को हिरासत में लिया, इस दौरान अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर नाजायज व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ। अभियुक्त के कब्जे से हुई इस बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर महोबा में मु0अ0सं0 451/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

रामदास प्रजापति पुत्र मिड़वा उम्र 42 वर्ष नि0 ग्राम रीवन थाना मौदहा जनपद हमीरपुर

बरामदगी का विवरण-

एक अदद तमंचा 315 बोर नाजायज व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 देवेन्द्र कुमार ओझा
2. का0 लोकेन्द्र प्रताप



थाना कबरई की पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर

हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 03 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक प्रवृत्ति के अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक 07.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक कुमार दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थाना कबरई क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित जुआ एवं सट्टा में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक कबरई श्री नागेन्द्र कुमार नागर द्वारा गठित की गयी टीम उ0नि0प्रशि0 प्रशान्त दीक्षित मय हमराह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर खास की सूचना पर सार्वजनिक स्थान पर ताश के पत्तों से हारजीत की बाजी लगा कर रुपये से जुआ खेल रहे 03 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.कौशल किशोर पुत्र पूरन उम्र 27 वर्ष 2.धीरेन्द्र पुत्र स्व0 सुखनन्दन उम्र 51 वर्ष 3.पुष्पेन्द्र पुत्र पूरन उम्र 24 वर्ष समस्त निवासीगण मोहल्ला विशालनगर थाना कबरई जनपद महोबा को वर्मा तालाब के पास पीपल के पेड़े के नीचे बहद कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनकी जामा तलाशी से 330 रुपये, माल फड 1100 रुपये व 52 अदद ताश पत्ते बरामद हुये। बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कबरई में मु0अ0सं0 249/24 धारा 13 जी एकट का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0प्रशि0 प्रशान्त दीक्षित
2. हे0कां0 रामकरन सिंह 3. कां0 अंकुश पाल



थाना खन्ना की पुलिस टीम ने अवैध देशी शराब के साथ

एक नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक प्रवृत्ति के अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक 07.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक कुमार दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी अनुरुद्ध प्रताप सिंह द्वारा गठित की गई 30नि0 चेताराम व हे0का0 नरेन्द्र कुमार द्वारा मुखबिर खास कि सूचना पर 01 नफर अभियुक्त रामभजन पुत्र लालजी उम्र करीब 54 वर्ष निवासी ग्राम बहिंगा थाना खन्ना जनपद महोबा जिसके कब्जे से एक बोरी मे 25 क्वार्टर देशी शराब नाजायज बरामद करते हुए ग्राम बहिंगा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 120/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

रामभजन पुत्र लालजी उम्र करीब 54 वर्ष निवासी ग्राम बहिंगा
थाना खन्ना जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. 30नि0 चेताराम
2. हे0का0 नरेन्द्र कुमार



थाना खरेला की पुलिस टीम ने अवैध देशी शराब के साथ

एक नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक प्रवृत्ति के अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक 07.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकान्त गौड के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महोदय श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा गठित की गई व030नि0 अरविन्द कुमार उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त मूलचन्द्र अनुरागी पुत्र स्व0 गयादीन अनुरागी उम्र 50 वर्ष निवासी मो0 शनीचरी बाजार कस्बा व थाना खरेला जनपद महोबा जिसके कब्जे से एक प्लास्टिक की बोरी 20 क्वार्टर देशी शराब ठेका नायायज बरामद करते हुए आईटीआई कालेज के पास कस्बा खरेला के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 97/2024 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त-

मूलचन्द्र अनुरागी पुत्र स्व0 गयादीन अनुरागी उम्र 50 वर्ष निवासी मो0 शनीचरी बाजार कस्बा व थाना खरेला जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व030नि0 अरविन्द कुमार उपाध्याय
2. का0 अखिलेश कुमार यादव

